

339386 - उसने अपने पिता को एक इंजेक्शन दिया और उसके साथ कुछ हवा के बुलबुले प्रवेश कर गए और उनकी मृत्यु हो गई। क्या वह उत्तरदायी है?

प्रश्न

मैंने अपने पिता के जीवन के अंतिम दिनों में उनके चिकित्सा उपचार का ध्यान रखा। वह फेफड़े के कैंसर के उन्नत चरण से पीड़ित थे। मैंने उन्हें दो दिन इंजेक्शन के माध्यम से दवा दी। लेकिन इंजेक्शन देने के दौरान ऐसा हुआ कि कुछ हवा के बुलबुले नस में प्रवेश कर गए। मुझे नहीं पता था कि यह हवा खतरनाक है। क्योंकि मेरे पिता बीमारी के एक उन्नत चरण में थे। उसके एक दिन बाद, मेरे पिता की मृत्यु हो गई - अल्लाह उनपर दया करे। तो क्या मैं गुनाहगार हूँ? क्या मेरे ऊपर कफ़ारा (प्रायश्चित्त) अनिवार्य है? मुझे कितने डॉक्टरों से परामर्श करना चाहिए? मैं दोषी महसूस कर रहा हूँ; क्योंकि मैं उनकी मौत का कारण हो सकता हूँ। यह एहसास मुझे पीड़ा दे रहा है; क्योंकि मुझे इस मामले की गंभीरता का पता नहीं था।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हम अल्लाह तआला से प्रार्थना करते हैं कि वह आपके पिता पर दया करे और उन्हें क्षमा प्रदान करे, तथा आपको अच्छी सांतवना दे और आपके अज़्र व सवाब को बढ़ा दे।

इस मुद्दे के संबंध में, डॉक्टरों से परामर्श किया जाना चाहिए यह पता लगाने के लिए कि मृत्यु आपके व्यवहार से हुई है या नहीं?

यदि तीन भरोसेमंद डॉक्टरों का कहना है कि : मौत का कारण - जैसा प्रतीत होता है - इंजेक्शन के माध्यम से हवा का प्रवेश करना है, तो आप उत्तरदायी होंगे। और उत्तरदायित्व का मतलब यह है कि : आपके लिए मृतक के वारिसों को दीयत (रक्त धन) देना अनिवार्य है, सिवाय इसके कि वे उसे क्षमा कर दें। तथा आपपर कफ़ारा (प्रायश्चित्त) भी अनिवार्य है, जो एक दास को मुक्त करना है। यदि यह मौजूद नहीं है, तो आपको लगातार दो महीनों तक रोज़ा रखना होगा। क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء: 92].

“किसी ईमान वाले के लिए शोभनीय नहीं कि वह किसी ईमान वाले की हत्या कर दे, परन्तु यह कि चूक से ऐसा हो जाए। जो व्यक्ति किसी ईमान वाले की गलती से हत्या कर दे, वह एक ईमान वाला दास मुक्त करे और उस (हत) के वारिसों को दीयत (हत्या का अर्थदंड) पहुँचाए, परन्तु यह कि वे क्षमा कर दें। फिर यदि वह (हत) तुम्हारी शत्रु क्रौम से हो और वह (खुद) ईमान वाला हो, तो केवल एक ईमान वाला दास मुक्त करना ज़रूरी है। और यदि वह ऐसी क्रौम से हो, जिसके और तुम्हारे बीच समझौता हो, तो उसके घर वालों को हत्या का अर्थदंड पहुँचाया जाए तथा एक ईमान वाला दास मुक्त करना ज़रूरी है। फिर जो (दास) न पाए, वह निरंतर दो महीने रोज़ा रखे। अल्लाह की ओर से (उसके पाप की) यही क्षमा है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है।” (सूरतुन-निसा : 92)

दीयत का भुगतान आपके ‘आक़िलह’ यानी ‘असबह’ (पिता की ओर से पुरुष रिश्तेदारों) द्वारा किया जाएगा, और आपको उसमें से कुछ भी नहीं लेंगे।

तथा तीन डॉक्टरों की गवाही का एतिबार करने के बारे में : “फ़तावा अल-लज्जह अद-दाईमह” (25/80), “फ़तावा शैख मुहम्मद बिन इबराहीम” (11/254) और हमारी वेबसाइट पर प्रश्न संख्या : (175020) का उत्तर देखें।

तथा ‘आक़िलह’ (पिता की तरफ के पुरुष रिश्तेदारों) से क्या अभिप्राय है, और अगर ‘आक़िलह’ नहीं है, या वे दीयत का भुगतान करने से इनकार कर दें, तो क्या हुक्म होगा, इसके बारे में जानकारी के लिए : प्रश्न संख्या : (52809) और प्रश्न संख्या : (175020) के उत्तर देखें।

यदि डॉक्टर कहते हैं : इंजेक्शन के माध्यम से हवा का प्रवेश करना मृत्यु का कारण नहीं है, तो आप पर कुछ भी अनिवार्य नहीं है।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।